पत्रांक–सं0सं0–6/N–08–85/2018.........

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
!! निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ !!

प्रेषक,

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

सेवा में,

कुल सचिव,
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
मीठापुर, पटना–800001

पटना, दिनांकः / /2025

विषयः **राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों की संबद्धता के बिन्दु पर मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंगः **बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का पत्रांक–383, दिनांक–16.04.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स–1997 के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक–293(6), दिनांक–12.03.2025 द्वारा निम्नलिखित निर्णय संसूचित किये गये है :–

(i) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स–1997 में सावधिक मान्यता का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सभी प्रदत्त मान्यता प्राप्त संस्थानों की मान्यता को स्थायी मानते हुए उक्त नियमावली के नियम–4(iii) में निहित प्रावधान के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर अथवा उसके पूर्व सरकार जैसा आवश्यक समझे, निरीक्षण कराई जायेगी तथा निरीक्षणोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर संबंधित संस्थान के आगे की मान्यता जारी रखने के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

(ii) जिन संस्थानों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा उन संस्थानों के आगे की मान्यता के बिन्दु पर दो माह के अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा।

(iii) जिन संस्थानों का निरीक्षण प्रतिवेदन मानक के अनुरूप पाया जायेगा उन संस्थानों की आगे की मान्यता जारी रहेगी।

(iv) निरीक्षण हेतु नया सत्र प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित संस्थान को विभाग में आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।

(v) निरीक्षण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन उक्त नियमावली के नियम–4(iii) के अनुसार की जायेगी।

अवधि विस्तार संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है फलस्वरूप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से अब अवधि विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक पत्र के संबंध में स्पष्ट करना है कि वैसे नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों जिनके पूर्व में सत्र 2023–24 एवं 2024–25 में मान्यता का अवधि विस्तार आदेश निर्गत नहीं हुआ है, वैसे संस्थानों को उक्त सत्र के लिए संबद्धता प्रदान कर दिया जाय, परन्तु अगले सत्र 2025–26 के लिए उन्हें नामांकन से पूर्व संस्थान का निरीक्षण कराना आवश्यक होगा अन्यथा उस सत्र में नामांकन पर रोक रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि अन्य जिस संस्थान की मान्यता एवं अवधि विस्तार को तीन वर्ष पूर्ण हो गया है, उन्हें भी वर्तमान सत्र 2025–26 में नामांकन लेने से पूर्व संस्थान का निरीक्षण कराना आवश्यक होगा, अन्यथा उनके भी नामांकन पर रोक रहेगा। जिन संस्थानों का निरीक्षण प्रतिवेदन मानक के अनुरूप पाया जायेगा उनके आगे की मान्यता एवं नामांकन जारी रहेगी तथा जांच प्रतिवेदन के फलाफल से विश्वविद्यालय एवं अन्य संबंधित संस्थान को अवगत करा दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

ज्ञापांक : सं0सं0–6/एन0–08–85/2018 659(6) पटना दिनांक 16/06/2025

प्रतिलिपिः–राज्य के अन्तर्गत संचालित सभी निजी नर्सिंग स्कूल/संस्थान/कॉलेज के प्राचार्य/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/6/25

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

D \Vyas Jee